न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 359/2025

जीसीएमएस नं. :– 2025/457

प्रार्थीगण :–

1. गणपतराम पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई निवासी रावर तहसील बिलाड़ा।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री मंसूर अली छीपा–प्रार्थी की ओर से

तहसीलदार पीपाड़ शहर–अप्रार्थी

दर्ज दिनांक :–08/09/2025

निर्णय

दिनांक :– 18/11/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोयल पटवार क्षेत्र बोयल तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या पुराना 1240 रकबा 2.8962 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम प्रार्थी के नाम से आई हुई थी जो राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी संवत 2075–78 में खाता संख्या नया 131 पर प्रार्थी के नाम से इन्द्राजसुदा थी जो प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा निजी स्वामित्व की कृषि भूमि हैं। वर्तमान में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड का रिसर्वे किया गया जिसमें प्रार्थी के पुराना खसरा सख्या 1240 रकबा 2.8962 हेक्टेयर किस्म बारानी के स्थान पर नये खसरा संख्या 1012 रकबा 0.0106 हेक्टेयर कर दिया गया जो कि ऑनलाईन त्रुटि हैं। प्रार्थी को उसके सम्पूर्ण खातेदारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया जबकि राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि खसरा संख्या 1012 रकबा 0.0106 हेक्टेयर भूमि नये खाता संख्या 699 के खातेदारान के नाम से गैर मुमकिन कुंआ के रुप में दर्ज होनी चाहिए व नये खसरा संख्या 1010 रकबा 2.9904 हेक्टेयर भूमि गैर मुमकिन कुंआ के स्थान पर गैर मुमकिन बारानी प्रार्थी के खाता संख्या नया 129 में इन्द्राज होना चाहिए। जो कि एक लिपिकिय त्रुटि हैं। प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड में हुई अशुद्धि को लेकर अप्रार्थी तहसीलदार से संपर्क किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करने में समर्थता जताई इसलिए प्रार्थी के पास न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान खसरा संख्या 1010 रकबा 2.9904 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुआ के स्थान पर गैर मुमकिन बारानी भूमि प्रार्थी के खाता

उपखण्ड अधिकारी

संख्या नया 129 में इन्द्राज की जानी है व खसरा संख्या 1012 रकबा 0.0106 हेक्टेयर किस्म बारानी के स्थान पर गैर मुमकिन कुआ खाता सख्या नया 699 में दर्ज किया जाना है ताकि राजस्व रेकर्ड की शुद्धि होकर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि प्राप्त हो सके यानि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1010 रकबा 2.9904 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुंआ के स्थान पर बारानी करते हुए खाता संख्या नया 129 में दर्ज करने के आदेश फरमायें व खसरा संख्या 1012 रकबा 0.0106 हैक्टेयर किस्म बारानी के स्थान पर गैर मुमकिन कुंआ करते हुए खाता संख्या 699 में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम बोयल के खसरा संख्या 1012 की किस्म गैर मुमकिन कुआं तथा खसरा संख्या 1010 की किस्म बारानी दर्ज किया जाकर तथा खाता संख्या 699 के सभी खातेदार कुल संख्या 38 खसरा संख्या 1012 रकबा 0.0106 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुआं के खातेदार तथा खाता संख्या 129 खसरा संख्या 1010 रकबा 2.9904 हैक्टेयर किस्म बारानी में खातेदार गणपतराम पुत्र कोजाराम का नाम दर्ज किया जाना उचित है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम बोयल की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1010 रकबा 2.9904 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुंआ के स्थान पर बारानी करते हुए खाता संख्या नया 129 में दर्ज करने के आदेश फरमायें व खसरा संख्या 1012 रकबा 0.0106 हैक्टेयर किस्म बारानी के स्थान पर गैर मुमकिन कुंआ करते हुए खाता संख्या 699 में दर्ज करावे। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने ग्राम बोयल के खसरा संख्या 1012 की किस्म गैर मुमकिन कुआं तथा खसरा संख्या 1010 की किस्म बारानी दर्ज किया जाकर तथा खाता संख्या 699 के सभी खातेदार कुल संख्या 38 खसरा संख्या 1012 रकबा 0.0106 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुआं के खातेदार तथा खाता संख्या 129 खसरा संख्या 1010 रकबा 2.9904 हैक्टेयर किस्म बारानी में खातेदार गणपतराम पुत्र कोजाराम का नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब 7206/27.10.2025 अनुसार ग्राम बोयल के खसरा संख्या 1012 की किस्म गैर मुमकिन कुआं तथा खसरा संख्या 1010 की किस्म बारानी दर्ज किया जाकर तथा खाता संख्या 699 के सभी खातेदार कुल संख्या 38 खसरा संख्या 1012 रकबा 0.0106 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन कुआं के खातेदार तथा खाता संख्या 129 खसरा संख्या 1010 रकबा 2.9904 हैक्टेयर किस्म बारानी में खातेदार गणपतराम पुत्र कोजाराम का नाम दर्ज कर नाप चौप करवा कर तरमीम दुरूस्त की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब 7206/27.10.2025 को आदेश का भाग समझा जावें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 18/11/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर